# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—09 / 2015 (2015 / 00009) वाद पत्र

**उनवान**

1—अयूब खां पुत्र एलियाज खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादी**

**बनाम**

1—राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

2—श्रीमान लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 15, 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित — वादी अधिवक्ता

1. जाकिर हुसैन —

**निर्णय** — दिनांक—29.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में साबिक आराजी संख्या 8/2 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त के रूप में दर्ज है। जिस पर करीब 50 वर्षो से वादी के पिता एलियाज खां पुत्र फयाज खां पठान काबिज होकर काश्त कर रहे तथा वादी की मृत्यु के पश्चात से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। साबिक आराजी संख्या 8/2 के पास ही वादी की खातेदारी कृषि आराजियात स्थित है, जिसमें उक्त साबिक बिलानाम आराजी मिली हुई है तथा वादी ने एवं उसके पिता ने काफी रूपये लगाकर उपजाउ व काबिल काश्त बनाया है। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी की नकल साथ पेश है। वादी व उसके पिता विगत 50 वर्षो से साबिक आराजी संख्या 8/2 पर काबिज होकर निरन्तर एवं निर्बाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है इस दौरान वादी के पिता के विरूद्व 23.08.1992, 21.08.1997, 13.09.2004 को धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही की गई परन्तु वादी के पिता को कभी बेदखल नही किया गया। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त की नकलों में भी वादी के पिता का नाम अंकित चला आ रहा है। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता चला आ रहा है। प्रमाण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के सूचना पत्र व गैर मुस्तकिल काश्त की नकले साथ पेश हैं। तहसील रायपुर में भूप्रबंध की कार्यवाही होने से ग्राम रायपुर में भी भूप्रबंध हुआ जिससे साबिक आराजी संख्या 8/2 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा के नवीन नम्बर 54 रकबा 3.37 हैक्ट अन्य साबिक आ.सं. 8/12 व 8/1 मी. को मिलाते हुए कायम किए गए नवीन आराजी संख्या 54 रकबा 3.37 हेक्ट में से 1.00 हैक्ट पर वादी व उसके पिता का निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता ने दिनांक 29.09.2001 को साबिक आ.स. 8/2 को अपने नाम आवंटन कराने हेतु माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पटवार हल्का रायपुर ने आराजी संख्या 54 रकबा 3.37 हैक्ट में से 1.00 हैक्ट पर वादी का कब्जा होने के बावजूद भी हयाज खाँ पिता फयाज खाँ पठान निवासी रायपुर से मिलीभगत करते हुए दिनांक 27.12.2004 को उसके नाम आवंटन कर दी जिसका नवीन नम्बर 4302/[illegible] रकबा 1.00 हैक्ट. कायम किए गए। जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा के यहां दिनांक 31.7.2007 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 24/07 होकर उसमें दिनांक 26.4.2008 को उक्त आवंटन न्यायालय द्वारा वादी का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

होने से निरस्त कर दिया। प्रमाण में निर्णय की प्रति मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान जमाबंदी की नकल साथ पेश हैं। आ.सं. 4302/54 रकबा 1.00 हैक्ट का आवंटन माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय भीलवाडा के न्यायालय द्वारा निरस्त कर देने के पश्चात उक्त आराजी को पुनः राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया गया है जिस पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है, जिसे करीब 50 वर्ष हो चुके है। वादी ने उक्त आराजी पर काफी रूपए लगाकर व काफी अंग मेहनत करके इसे उपजाउ बनाया हैं तथा उस पर निरन्तर एवं निर्वाध रूप से काबिज़ होकर काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता चला आ रहा हैं। वादी का उस पर एडवर्स पजेशन हो चुका है जिससे वादी आ.सं. 4302/54 रकबा 1.00 हैक्ट पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी निरन्तर एवं निर्वाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसे करीब 50 वर्ष हो गये है तथा उक्त भूमि वादी की कृषि खातेदारी आराजी से मिली हुई है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारी अधिकार के कई परिपत्र जारी किये गये है परन्तु वादी को खातेदारी अधिकार नही प्रदान किये गये है जिससे वादी को खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिये वाद पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। वादी आराजी संख्या 4302/54 रकबा 1.00 है0 पर विगत पचास वर्षो से निरन्तर एवं निर्बाद रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादीगण उसे आए दिन बेदखल करने तथा उक्त भूमि को अन्य को आवंटित करने की धमकी दी जा रही है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि वादी आराजी संख्या 4302/54 रकबा 1.00 का खातेदार काश्तकार है तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम अमलदरामद करने की डिक्री जारी फरमाई जाए। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि प्रतिवादीगण वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4302/54 रकबा 1.00 है0 से बेदखल नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर जवाब के अंकन किया कि बिन्दु संख्या 1 का प्रत्युतर है कि राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज स्वीकार है बाकी कथन वादी स्वंय सिद्व करे। वादी के विरूद्व सन् 1992 से फर्दन फर्दन 91 की कार्यवाही की गई परन्तु हर वर्ष बेदखली की गई। राजस्व रेकार्ड के आधार पर गत एवं हाल आराजी सही बनना एवं इसी आराजी मे से 1.00 है0 भूमि प्रार्थी के भाई को दिनांक 27.12.2004 को आंवटन होना व अपीलीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 24/07 एडीएम साहब निर्णय दिनांक 26.04.2008 से आवंटन निरस्त होना स्वीकार है। बिन्दु संख्या 5 वादी स्वयं सिद्व करे एवं बिन्दु संख्या 6 व 7 का प्रत्युत्तर 3 व 4 के जवाब में समाहित है एवं बिन्दु संख्या 8 से 13 न्यायालय से सम्बधित है। प्रार्थी अतिक्रमण पुराना होना एवं कब्जे के आधार पर घोषणात्मक दावे से बिलानाम भूमि की [illegible] चाहता है जो संभव नही है यह भूमि आबादी एवं सड़क से लगती हुई है भूमि आवंटन नियम 1970 के उप नियम 4-ख के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। वादी का वाद खारीज फरमावें।

**वाद एवं प्रतिवादी के आधार पर तनकीयात कायम की गई।**

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं ?

जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादी वादग्रस्त आराजी का स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।
जिम्मे वादी

3. आया वादी वादग्रस्त आराजी जो कि आबादी के नजदीक अवस्थित है उसको खातेदारी अधिकार रखता है।
जिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

मैने पत्रावली में उपलब्ध वाद प्रतिवाद एवं वादी की ओर से प्रस्तुत रेकार्ड एवं गवाहो के बयानो पर गभींरता से विचार किया गया जिसके आधार पर वादवर्णित भूमि बाबत् कायम तनकियो का तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

**1. आया वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं ?**
**जिम्मे वादी**

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में बयान दिये गये एवं रेकार्ड प्रेषित किया गया जिसमें जमाबन्दी 2046 से 2049 प्रदर्श 1 है। तहसीलदार रायपुर को दिये गये आवेदन की प्रति प्रर्दश 3 है। धारा 91 के आदेश की प्रति जो प्रदर्श 3 है। पर्चा मौका जो प्रदर्श 4 है। नोटिस की प्रति प्रदर्श 5 है। जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 जो प्रदर्श 6 है। ऐडीएम साहब भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 26.04.2008 की प्रति प्रदर्श 7 है। मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रदर्श 8 है। पी–14 संवत 2060 जो प्रदर्श 10 है। पजींकृत धारा 80 जा.दी. का सूचना पत्र प्रदर्श 11 है। डाक की रसीदे व ए.डी प्रदर्श 12 से 14 है। नामान्तकरण की नकल प्रदर्श 15 है। जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 जो प्रदर्श 16 है। जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 जो प्रदर्श 17 है। अपने जवा में वादवर्णित भूमि को आबादी एवं सड़क के नजदीक बताया गया है। इस वर्ष कोई धारा 91 के नोटिस की कार्यवाही नही की गई इसके अतिरिक्त रामलाल पिता गुलाब नायक के बयान कराये गये जिसमें कहा कि वादी के द्वारा जिस भूमि का दावा कर रखा है मै जानता हुॅ जो वादी की खातेदारी भूमि से लगती हुई है और मेरे पिताजी सिजारे पर भी लेते थे जमीन खेती लायक है और वर्तमान में उक्त वादग्रस्त जमीन को सिजारे पर बो रखी है जिसमें मैने फसल बो रखी है और 5 साल से में उक्त जमीन को सिजारे पर बो रहा हुॅ जिस जमीन पर मै काश्त कर रहा हुॅ वो सरकारी है।

उक्त रेकार्ड और बयानो के आधार पर पाया कि वादी के द्वारा जो रेकार्ड पेश किया गया है वो बिलानाम भूमि से सम्बधित है और माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में वादी के द्वारा जो हयाज खां के नाम आवंटित भूमि की अपील करने से आंवटन निरस्त किया गया है। आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित का आवंटन निरस्त करने पर भूमि अपीलकर्ता के नाम दर्ज नही हो सकती है। वादी के द्वारा राजकीय भूमि पर स्वयं काश्त नही की जा रही है और अन्य व्यक्ति से काश्त करायी जा रही है जिससे राजकीय भूमि पर वादी का कब्जा नही है। राजकीय भूमि पर जो काश्त करता है उपयोग उपभोग करता है उसका कब्जा माना जाता है न कि किसी अन्य व्यकित का। रामलाल पिता गुलाब नायक के बयान के आधार पर वर्तमान में वादी का कोई राजकीय भूमि पर कब्जा नही है। कब्जे के अभाव में वादी वादवर्णित भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में इस तनकी को साबित कराने में वादी असफल रहने से इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

**2. आया वादी वादग्रस्त आराजी का स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।**
**जिम्मे वादी**

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। यह तनकी, तनकी नम्बर 1 से सम्बधित है। वादी का मौके पर कब्जा नही है। वादी स्वयं अपने समर्थन में जिन गवाह के बयान कराये गये वो गवाह अपने बयान में कब्जा स्वयं का होना बताते हुए फसल काश्त करना बता रहा है और वादी का कोई कब्जा नही है। इस वर्ष वादी का कब्जा है या नही इस बाबत् वादी की ओर रेकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है। भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है वादी का कब्जा होना रेकार्ड से प्रमाणित नही है कब्जे के अभाव में वादी वादग्रसत आराजी पर विपक्षी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त का अधिकारी नही है। वादी इस तनकी को साबित कराने में भी असफल रहा है। जिससे इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

**3. आया वादी वादग्रस्त आराजी जो कि आबादी के नजदीक अवस्थित है उसको खातेदारी अधिकार रखता है। जिम्मे प्रतिवादी**

इस तनकी को साबित कराने का भार सरकार था। अपनी इस तनकी के समर्थन में पैरोकार सरकार के द्वारा वर्तमान पटवारी हल्का रायपुर श्री लादुलाल रेगर के बयान कराये गये जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपने बयान में मुख्य कथन किया कि वादवर्णित भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है। रायपुर से सुरास जाने वाली सड़क से 1/5 किलोमीटर दुर स्थित है। वादी का मौके पर कोई कब्जा नही होने से वादी के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही नही हुई है और पी–14 में वादी का नाम अकिंत नही है। वादी की भूमि अलग है और वादवर्णित भूमि अलग है। वादी स्वयं ने अपने बयानो में कहा कि वादवर्णित भूमि आबादी एवं सड़क के नजदीक है। इस तनकी साबित कराने में प्रतिवादी सफल रहा है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी किया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के अनुसार वादी अपने वाद को साबित कराने में असफल रहा है जिसके आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वादी साबित कराने में असफल रहने से वादी का वाद खारीज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

29.03.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–09 / 2015 (2015 / 00009) वाद पत्र

**उनवान**

1–अयूब खां पुत्र एलियाज खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादी**

**बनाम**

1–राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2–श्रीमान लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 15, 88, 89, 188 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वादी साबित कराने में असफल रहने से वादी का वाद खारीज किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

29/03/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:21:23 IST
Reason: SelfAttested